## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज |
|---|---|
| | अशोक बनाम अनवानी<br>मु.नं.– 147/21 किस्म – T.D. |
| | लिखवाया जा नहीं सका। पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते आदेश प्रा.पत्र T.D. दिनांक 27.11.25 को पेश हो।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>मण्डावर (दौसा)<br><br>27.11.25 अधिवक्ताओं द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 03.2.26 को पेश हो।<br><br>03.02.26 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पीठासीन अधिकारी अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त होने के कारण आदेश प्रा.पत्र T.D. लिखवाया जा नहीं सका। पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते आदेश प्रा.पत्र T.D. दिनांक 07.4.26 को पेश हो।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>मण्डावर (दौसा)<br><br>07.4.26 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी सं.04 उपस्थित। प्रार्थीगण का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अस्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>मण्डावर (दौसा) |

# राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

| मुकदमा संख्या | तारीख रजू | तारीख निर्णय |
|---|---|---|
| 147/2021 | 22.11.2021 | 07.04.2026 |

**बउनवान**

1. अशोक पुत्र भम्बूराम, निवासी ईशरीखेडा, तहसील मण्डावर, दौसा।
2. लक्ष्मणराम पुत्र सुमरत्याराम, निवासी ईशरीखेडा, तहसील मण्डावर, दौसा।
3. उमराव पुत्र सुमरत्याराम, निवासी ईशरीखेडा, तहसील मण्डावर, दौसा।
4. गुलीचन्द पुत्र सुमरत्याराम, निवासी ईशरीखेडा, तहसील मण्डावर, दौसा।
5. घम्मन पुत्र सुमरत्याराम, निवासी ईशरीखेडा, तहसील मण्डावर, दौसा।
6. छोटी देवी पत्नी रामकरण, निवासी ईशरीखेडा, तहसील मण्डावर, दौसा।
7. मुकुन्द बिहारी लाल पुत्र रामकरण, निवासी ईशरीखेडा, तहसील मण्डावर, दौसा।
8. मोहनलाल पुत्र रामकरण, निवासी ईशरीखेडा, तहसील मण्डावर, दौसा।

**..प्रार्थीगण/सायलान**

**बनाम**

1. बनवारी पुत्र भम्बूराम, निवासी ईशरीखेडा, तहसील मण्डावर, दौसा।
2. फूलबाई पत्नी विश्राम, निवासी ईशरीखेडा, तहसील मण्डावर, दौसा।
3. मनीष कुमार पुत्र विश्राम, निवासी ईशरीखेडा, तहसील मण्डावर, दौसा।
4. सोनू कुमार पुत्र विश्राम, निवासी ईशरीखेडा, तहसील मण्डावर, दौसा।
5. कान्त पुत्र शिवचरण, निवासी खेडलीखुर्द, तहसील मण्डावर, दौसा।
6. चेतराम पुत्र खिलारी, निवासी खेडलीखुर्द, तहसील मण्डावर, दौसा।
7. बाबूलाल पुत्र खिलारी, निवासी खेडलीखुर्द, तहसील मण्डावर, दौसा।
8. मुरारी पुत्र ठण्डीराम, निवासी खेडलीखुर्द, तहसील मण्डावर, दौसा।
9. नन्दी पुत्री ठण्डीराम, निवासी खेडलीखुर्द, तहसील मण्डावर, दौसा।
10. शिवचरण दत्तक पुत्र किशनलाल, निवासी खेडलीखुर्द, तहसील मण्डावर, दौसा।
11. हरिराम दत्तक पुत्र किशनलाल, निवासी खेडलीखुर्द, तहसील मण्डावर, दौसा।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर तहसील मण्डावर, दौसा।

**..अप्रार्थीगण/गैरसायलान**

**उपस्थित**

1. अभिभाषक प्रार्थी – श्री धर्मसिंह राजपूत।
2. अभिभाषक अप्रार्थी सं. 05 लगा. 08, 10, 11 – श्री भुवनेश त्रिवेदी।

## प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

## निर्णय

1. प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थीगण की भूमि विवादित आराजीयात खसरा सं. 531 रकबा 0.16 हैक्टे., 540 रकबा 0.20 हैक्टे., 541 रकबा 0.29 हैक्टे. 545 रकबा 0.30 हैक्टे., 675 रकबा 0.25 हैक्टे., कुल किता 05, कुल रकबा 1.20 हैक्टे. वाके

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

ग्राम ईशरीखेडा, तहसील मण्डावर, जिला दौसा में स्थित है। आराजी खसरा सं. 672 रकबा 0.07 हैक्टे., वाके ग्राम ईशरीखेडा, तहसील मण्डावर, जिला दौसा में स्थित है जो कि प्रार्थना पत्र में विवादित आराजीयात है। विवादित आराजीयात में सायलान सं. 1 लगायत 8 का 31/48 भाग, गैरसायल नं. 1 का 1/16 भाग, गैरसायल सं. 2 लगा. 4 का 7/24 भाग कब्जे काश्त एवं सहखातेदारी की आराजी है जिससे अन्य गैरसायलान का कोई सम्बन्ध व वास्ता नही है। विवादित आराजी वर्णित प्रार्थना मद नं. 3 में सायल 1 का 1/2 भाग था जिसका बेचान उसके द्वारा दिनांक 26.10.2021 को लिखवाकर दिनांकः 11.11.2021 को सायल सं. 2 के हक मे जरिये रजिस्टर्ड बयनामा के कर दिया जिसका बयनामा उप पंजीयक मण्डावर द्वारा तस्दीक फरमा दिया गया है तथा उस पर कब्जा भी सायल सं. 1 ने सायल सं. 2 को सम्भलवा दिया है तथा शेष 1/2 भाग उक्त मद नं. 3 मे वर्णित आराजी में गैरसायल सं. 1 एवं 5, 6 का मौजूद जमाबंदी है जिससे भी गैरसायल सं. 7 लगा. 11 का कोई सम्बंध व सरोकार नही है। गैरसायल सं. 1 लगायत 11 द्वारा एक नाजायज गिरोह बना रखा है तथा उक्त सभी गैसायलान सायलान को उसकी सहखातेदारी की आराजी में सही तरीके से काश्त करने नही देना चाहते हैं। इस हेतु उन्होंने उक्त सहखातेदारी की आराजी में खडी फसल को नष्ट करने के उद्देश्य से उसमें सडक रास्ता निकालने हेतु मिटटी डालना शुरू कर दिया जिस पर हम सायलान को जैसे ही जानकारी हुई तो हमने वहाँ जाकर इनसे मना किया और कहा कि आप उक्त खातेदारी की भूमि में जबरन बिना विभाजन कराये ही उक्त भूमि को क्यों नाकाबिल काश्त बना रहे है तो उस समय तो सभी गैरसायलान मान गये लेकिन ये लोग धमकी देकर गये कि इस आराजी में होकर हम तो रास्ता निकाल कर ही छोड़ेंगे तथा इस भूमि को हम नाकाबिल काश्त बनाकर ही दम लेंगे तथा तुम ज्यादा करोगे तो हम सभी तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते है। गैरसायल सं. 1 लगा. 6 तो उक्त भूमि के कुछ खातों में सहखातेदार आवश्यक है लेकिन गैर सायल स. 7 लगा. 11 का तो उक्त भूमि से कोई सम्बंध सरोकार किसी भी प्रकार का नही है। उसके बावजूद भी ये लोग सायलान को उनकी खातेदारी एवं कब्जेकाश्त शुदा भूमि में जबरन प्रवेश कर तथा उसमे खडी फसल जो कि सरसब्ज हममात में खडी हुई है। उसमे होकर जबरन रास्ता बनाने पर आमादा है तथा कृषि भूमि को नाकाबिल काश्त बनाना चाहते हैं जिसकी कानून उन्हें इजाजत नही देता है लेकिन ये लोग लट्ठ के बल पर इस प्रकार का कृत्य करने पर आमादा है जिस हेतु इन सभी व्यक्तियों ने दिनांक 28.10.2021 को उक्त भूमि के कुछ हिस्से में मिट्टी भी डाल दी तथा आगे रोडी खर्स डालने की भी धमकी दी है। उक्त भूमि कृषि भूमि है। संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है जिसका बिना विधिवत विभाजन हेतु बिना कोई भी पक्षकार अपने हिस्से की भूमि में भी किसी भी प्रकार का निर्माण नही कर सकता है क्योंकि कृषि भूमि से अकृषि भूमि का कार्य किया जाना कानूनन गलत है। इस कारण दौराने दावा यह प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ है। उक्त भूमि में से में खसरा सं. 672 रकबा 0.07 हैक्टे. वाके ग्राम ईशरीखेडा के हिस्से 1/2 भाग जो कि सायल सं. 1 अशोक पुत्र भम्बूराम का था जिसने अपने सम्पूर्ण हिस्ते का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रयनामा के दिनांक 11.11.2021 को सायल सं. 2 लक्ष्मण के हक में कर दिया है तथा सम्पूर्ण विक्रय धन प्राप्त कर लिया है जिसका अभी नामान्तकरण नहीं खुला है। इस कारण उक्त हिस्से के लिए सायलान सं. 2 द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अपने हक हकूकों की रक्षार्थ पेश करना लाजिम हुआ है। गैर सायल सं. 1 उक्त भूमि वर्णित प्रार्थना पत्र मद नं. 2 में सहखातेदार दर्ज रिकॉर्ड है जिसमें उसका हिस्सा 1/16 एवं गैरसायल सं. 2 लगा. 4 का 7/24 भाग दर्ज है

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

तथा आराजी वर्णित प्रार्थना पत्र मद सं. 3 में गैरसायल सं. 1 एवं 5, 6 का 1/2 हिस्सा दर्ज है। शेष हिस्सा सायल सं. 1 का था जिसे उसके द्वारा सम्पूर्ण का विक्रय सायल सं. 2 के हक में कर दिया हैं। इस कारण उक्त आराजी भी सहखातेदारी की आराजी है जिसका अभी तक विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। इस कारण उक्त सायलान एवं गैरसायल सं. 1 लगा. 6 के मध्य आपस मे विवाद होता रहता है तथा गैरसायलान अपने हिस्से की आड मे उक्त आराजी मे होकर जबरन रास्ता निकालने पर आमादा है जिसका उन्हें बिना विधिवत विभाजन कराये किसी भी प्रकार का अधिकार हासिल नही है। गैरसायलान अपनी उपरोक्त कुचेष्टा में कामयाब हो गये तो हम सायलान को अपूरणीय क्षति होगी। लिहाजा अपूरणीय क्षति का प्रश्न भी सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है। प्रथम दृष्ट्या केस व सुविधा का सन्तुलन सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है। दौराने दावा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से गैरसायलान को पाबंद फरमाये जाने से उन्हें किसी भी प्रकार की क्षति नहीं है जबकि गैरसायलान को पाबंद नहीं करने से सायलान को अकथनीय क्षति होगी। इसलिए गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। अतः अर्ज है कि ताफैसला दावा गैरसायलान को इस अमर को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वो सायलान के कब्जा काश्त की उक्त विवादित आराजी खं. नं. 672, 675, 531, 540, 541, 545 में होकर किसी भी प्रकार का रास्ता का निर्माण नहीं करे और ना ही किसी अन्य प्रकार का निर्माण कार्य कर कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तन नहीं करें तथा गैरसायल नं. 1 लगा. 6 अपने हिस्से की भूमि का भी बिना विधिवत तकास्मा कराये मौका एवं राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति को बनाये रखे। सायलान को शांति पूर्वक काबिज काश्त रहने दे तथा उनकी सरसब्ज हालत में खडी फसल में किसी भी प्रकार की दखलंदाजी बेजा पैदा ना तो स्वयं करें, ना ही किसी अन्य से ही कराये। मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड को स्थिति को यथावत बनाये रखे।

2. विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुतिकरण के समय अप्रार्थीगण के विरुद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने के लिए बहस का निवेदन किया। विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया जाकर दिनांक 22.11.2021 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी कि अप्रार्थीगण ग्राम ईशरीखेडा, पटवार हल्का रींदली, तहसील मण्डावर, जिला दौसा में स्थित विवादित आराजीयात खसरा सं. 672, 675, 531, 540, 541, 545 में किसी भी प्रकार के रास्ता का निर्माण नहीं करें, किसी भी प्रकार की मजाहमत, मदाखलत ना तो स्वयं करेंगे, ना किसी अन्य से करावें तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखेंगे।

3. अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। नोटिस की तामील के बावजूद, अप्रार्थी सं. 1 लगायत 4, 9, 12 ने न्यायालय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इसलिए इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए इनके जवाब का अवसर बन्द किया गया। अप्रार्थी सं. 5 लगायत 8, 10, 11 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के अधिकांश तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया कि गैरसायलान ने कोई गिरोह नहीं बना रखा है, गैरसायल सं. 1 लगायत 4 ईसरीखेडा के व 5 लगायत 11 खेडली खुर्द के है, उनका गांव व ग्राम पंचायत भी अलग–अलग है। इसलिये गिरोह का सवाल ही नहीं है। सायलान को काश्त करने से कोई नहीं रोक रहा है, सडक तो पहले से ही बनी हुई है। जानकारी एवं मना का प्रश्न ही नहीं उठता है क्योंकि मौके पर पहले से ही सडक ग्रेवल बनी हुई है। सही तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व से ही सडक बनी हुई थी। यह तथ्य जवाब, दस्तावेजी साक्ष्य, पटवारी की रिपोर्ट व पुलिस द्वारा किये अनुसंधान से

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

साबित कर देंगे। कोई फसल सरसब्ज हालत में नहीं खडी हुई है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व भी मौके पर ग्रेवल सडक बनी हुई है। सही तथ्य इस प्रकार है कि आजादी से पूर्व से ही मौके पर सड़क बनी हुई है जो आज भी चालू है। मौके पर ग्रेवल सडक बनी हुई है। सडक पहले से ही बनी हुई है। कोई वाद हेतुक उत्पन्न नहीं हुआ है। वाद आदेश 7 नियम 11 जा.दी. 1908 के नुक्श से ग्रसित है। हजारों लोगों के उपयोग में आ रही सडक को बन्द करने के लिये यह झूठा वाद पत्र व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया है। यह विक्रय का नामान्तकरण तहसीलदार भू अभिलेख भर देते जो कि लोक सेवाओं की प्रदान की गारण्टी अधिनियम के अधीन अधिकार है। इसलिये प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। मौके पर ग्रेवल सडक बनी हुई है। मौके पर चालू है। सायलान ने दुर्भी संधि करके यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज फरमाया जावे। सायलान ने गैरसायलान से साज कर गैरसायलान के रास्ते को बन्द करने के लिये यह गलत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। न्यायालय से आदेश लेकर हजारों लोगों के रास्ते नया कुआ ढाणी को बन्द करना चाहते है। रास्ता बन्द हो गया तो एक हजार लोग परेशान हो जायेगे। गैरसायलान को अन्य कोई रास्ता या विकल्प उपलब्ध नहीं हे। सायलान की जितनी आराजी में सडक निर्मित है, उसकी पूर्ति के लिये सायलान को गैरसायलान डी.एल.सी. की दर से धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार मूल्य चुकाने को तैयार है। इसलिये विधि अनुसार पूर्ति करने को तैयार है। इसलिये सायलान को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं है। सायलान का प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन उनके पक्ष में प्रमाणित नहीं है। इसलिये प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि जवाब स्वीकार फरमाया जाकर सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे व गैरसायलान को सायलान से खर्चा दिलवाया जावे।

4. प्रार्थी सं. 04 की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 प्रस्तुत किया गया जिस पर विधिवत सुनवाई की जाकर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया गया। प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा पर विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। अप्रार्थीगण की ओर से बहस के लिए कोई उपस्थित नहीं हुआ। विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तदनुसार प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली, प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में प्रावधान है कि :

*212. व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध – इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि –*

*(क) किसी सम्पत्ति का, जिससे ऐसा वाद वा कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या*

*(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है।*

*तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।*

*(2) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश किया गया है अथवा जिसकी सम्पत्ति के बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया है इतनी रकम की नकद प्रतिभूति दे सकता है*

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

*जितनी, वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विनिश्चित होने की दशा में विरोधी पक्षकार को मुआवजा देने के लिए न्यायालय अवधारित करे, और ऐसी प्रतिभूति की रकम जमा किये जाने पर न्यायालय, यथास्थिति, व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को प्रत्याहृत कर सकेगा।*

5. प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने के लिए प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को तय किया जाना है। जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 के अनुसार, विवादित आराजीयात में प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगण दर्ज रिकॉर्ड सहखातेदार है। इस प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध वाद घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज, तकास्मा तथा स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया है। वादपत्र के जरिये वादी सं. 02 के द्वारा विवादित आराजीयात के खसरा सं. 672 में खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने तथा इस आराजी का तकास्मा किये जाने का अनुतोष चाहा गया है जिसका निर्धारण वादपत्र में साक्ष्य के उपरांत गुणावगुण पर किया जाना संभव हो सकेगा। इस कारण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है। सहखातेदारी की उक्त विवादित आराजीयात में रिकॉर्डेड खातेदार (अप्रार्थीगण) के विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी किये जाने से अप्रार्थीगण को खातेदारी अधिकारों के उपयोग में भारी असुविधा तथा क्षति होगी। इस कारण सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति सिद्धांत प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं पाया जाता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नहीं है।

## आदेश

6. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अस्वीकार किया जाकर ग्राम ईशरीखेडा, पटवार हल्का रींदली, तहसील मण्डावर, जिला दौसा में स्थित विवादित आराजीयात खसरा सं. 672, 675, 531, 540, 541, 545 के सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 22.11.2021 के प्रचनल को समाप्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 07.04.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)